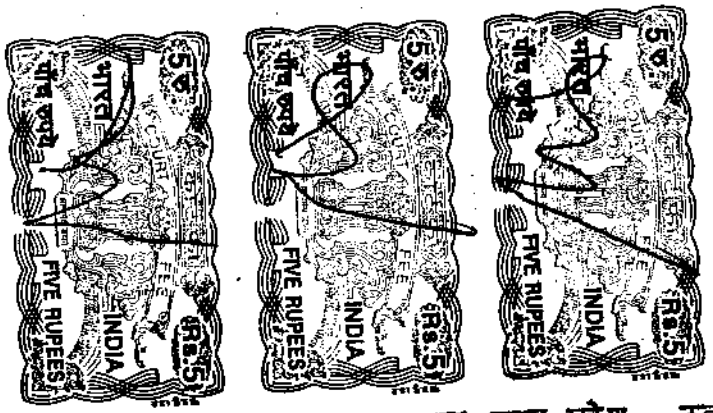

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश,, ग्वालियर

प्र0क्र0 ।2010 अपील - 1133-II/10

बबोलेसिंह आत्मज जियालालसिंह गोंड
निवासी ग्राम चोलना तहसील जैतहारी
जिला अनूपपुर ------ अपीलार्थी

विरुद्ध

बुद्धसेन पिता धर्मजीत, निवासी ग्राम
चोलना तहसील जैतहारी जिला अनूपपुर
------ प्रतिअपीलार्थी

एस. के. बाजपेयी. एडवोकेट
12-8-10

आयुक्त शहडोल संभाग व्दारा प्र0क्र0 182।बी-121।
2009-10 में पारित आदेश दिनांक 21-6-2010 के
विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा-35(4) म0प्र0 भू राजस्व
संहिता 1959.

महोदय,

अपीलार्थी निम्नलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि आयुक्त महोदय का विवादित आदेश न्याय एवं न्यायालयीन प्रक्रिया के अनुरूप न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

12-8-2010

(2) यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपने अधिवक्ता श्री अग्रवाल के माध्यम से अपील प्रस्तुत की थी । अपीलार्थी आदिवासी है, अनपढ़ है तथा शहडोल मुख्यालय से लगभग 90-100 किलोमीटर दूर रहता है । अपील प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलार्थी का कोई कृत्य शेष नहीं था अत: अधिवक्ता महोदय के आश्वासन पर वह प्रत्येक पेशी पर स्वयं उपस्थित नहीं होता था ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 1133–दो/2010 जिला –अनुपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–07–2016	आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित । अनावेदक के अभिभाषक एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। 2/ आवेदक की ओर से अभिभाषकं द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि आयुक्त शहडोल संभाग द्वारा आवेदक की अपील को इस आधार पर निरस्त किया है कि उनके द्वारा प्रकरण में तलवाना नहीं प्रस्तुत किया गया है । आवेदक अभिभाषक द्वारा कहा गया है कि आवेदक ने तकनिकी आधार पर न्याय से वांचित नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि वह अनपड़ होकर शहडोल मुख्यालय से 90 किमी0 दूर रहता है । अधिवक्ता द्वारा तलवाना प्रस्तुत न करने के कारण उसे न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । 3/ मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्क सुने गये एवं आयुक्त शहडोल के प्रकरण का अवलोकन किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मात्र तलवाना प्रस्तुत न करने के कारण प्रथम पेशी पर ही प्रकरण निरस्त कर दिया गया है जो मेरे मतानुसार उचित नहीं है अतः प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग का आदेश निरस्त करते हुये , उन्हें निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है	

कि वे आवेदक से तलवाना प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये गुण–दोषों पर निराकरण करें । प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य